(7)

अधिहरण वाद सं.-01/2019-15

श की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
10.10.23	अभिलेख उपस्थापित। उत्तरवादी (1) सबीराम कालो एवं (2) अगुस्टीन एक्का के ओर से प्रधान सत्र न्यायाधीश –सह– विशेष न्यायाधीश, सिमडेगा के न्यायालय का Special (N.D.P.S) Case No. 02/ 2014 सरकार बनाम (1) सबीराम कालो एवं (2) अगुस्टीन एक्का में दिनांक 24.06.2015 को पारित आदेश की प्रति दाखिल किया गया है एवं अवलोकन करते हुए वाद को समाप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। उत्तरवादी द्वारा दाखिल वर्णित आदेश का अवलोकन किया। आदेश में इस वाद से संबंधित ठेठईटांगर थाना काण्ड संख्या 15/14 दिनांक 24.04.2014 धारा – 414/34 भा0द0वि0 एवं 08/20/20 NDPS Act से संबंधित मामले में आदेश पारित किया गया है एवं अभियुक्त अगुस्टीन एक्का पिता – स्व0 इलारूस एक्का वगैरह, ग्राम – ढोड़ीजोर, थाना – केरसई, जिला – सिमडेगा को दोषी नहीं मानते हुए बरी किया गया है। चूंकि प्रधान सत्र न्यायाधीश –सह– विशेष न्यायाधीश, सिमडेगा द्वारा पारित आदेश में उत्तरवादी को दोषमुक्त किया जा चुका है अतएव इस वाद में अग्रेत्तर कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। तद्नुसार उक्त पारित आदेश के आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, सिमडेगा को भेजें। (हस्ताक्षर) 10.10.23 उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी, सिमडेगा।	निर्गत 311 28.10.23

Digitally signed by Ajay Kumar Singh
Date: 2024.06.29 13:45:35 +05:30
Location: 192.168.137.1

Scanned by CamScanner